राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.4(184)खान/ग्रुप–2/85 जयपुर, दिनांक : 4 NOV 2010

संशोधित अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.06.2007 जो कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 03 जुलाई, 2007 में प्रकाशित हुई के द्वारा खनिज सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन के 3 ब्लाक्स क्रमशः ब्लाक 3बी निकट ग्राम डेह–सरसनी तहसील जायल जिला नागौर, ब्लॉक 4जी–1 निकट ग्राम टाडास तहसील खीमसर जिला नागौर व ब्लाक 4जी–।। निकट ग्राम टाडास तहसील खीमसर जिला नागौर में खनन पटटा अनुदान किये जाने हेतु रिक्त घोषित किये गये और खनन पटटा अनुदान हेतु आवेदन पत्र उक्त अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को छोड़कर 30 दिन पश्चात खनि अभियंता, नागौर के कार्यालय में आमंत्रित किये गये ।

इसी क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में निर्धारित सीमेंट संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक शर्तों में संशोधन के कारण उक्त अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई, 2007 के द्वारा अधिसूचित सभी ब्लाक के संदर्भ में प्राप्त खनन पटटा अनुदान हेतु आवेदन पत्रों (मा० न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त प्रकरणों को छोड़कर) को निरस्त घोषित किया जाता है तथा ब्लाक 3बी नि०ग्रा० डेह–सरसनी तहसील जायल जिला नागौर पर नये सिरे से खनिज लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खनन पटटा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक की अवधि में निम्नलिखित शर्तों पर कार्यालय खनि अभियंता, नागौर में आमंत्रित किये जाते हैं :–

(i) उक्त क्षेत्र में 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को एक ही दिन में प्राप्त माना जायेगा तथा इनका निस्तारण एम.एम. डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 11(3) सपठित धारा 11(4) के अन्तर्गत किया जायेगा । 10 जनवरी, 2011 से पहले प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त माना जायेगा ।

(ii) आवेदक इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज लाइमस्टोन के भण्डारों के आधार पर एक बड़ा सीमेंट संयंत्र खनन पट्टा स्वीकृति से 3 वर्ष अधिकतम अवधि में स्थापित करेगा, जिसकी वार्षिक क्षमता कम से कम 15 लाख टन सीमेंट उत्पादन प्रतिवर्ष होगी । निर्धारित अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित करने की पुष्टि हेतु कीननेस मनी के रूप में दो करोड़ रू. प्रति 10 लाख टन प्रतिवर्ष वार्षिक क्षमता (प्रति मिलियन टन प्रतिवर्ष) की दर से बैंक गारंटी, मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने से पूर्व देनी होगी तथा खनन पट्टा संविदा निष्पादन से पूर्व एफडी के रूप में जमा करवानी होगी । खनन पट्टा स्वीकृती से तीन वर्ष की अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित नहीं करने पर कीननेस मनी जब्त कर ली जायेगी।

(iii) सीमेंट बनाने के लिए राज्य में उत्पादित लिग्नाइट खनिज का उपयोग उपलब्धता अनुसार किया जायेगा ।

(iv) उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण हेतु जो भी धनराशि व्यय की हुई है, उसे खनन पट्टा स्वीकृति होने पर राजकोष में जमा कराना होगा ।

(v) यदि क्षेत्र में एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन निकलता है तो वह आर.एस.एम.एम. लि० के माध्यम से स्टील प्लांटों को नियमानुसार रायल्टी भुगतान कर निर्गमित किया जायेगा ।

अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2007 (3 जुलाई 2007 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित) के द्वारा अधिसूचित ब्लॉक 4 जी–I तथा 4 जी–II के बारे में पृथक से नई अधिसूचना जारी की जायेगी जिसमें अंकित तिथि से पूर्व ब्लॉक 4 जी–I तथा 4 जी–II के लिये नये आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे तथा सभी पुराने लम्बित आवेदन पत्र (न्यायालय के स्थगन आदेशों से प्रभावित आवेदन पत्रों को छोड़कर) निरस्त माने जायेंगे।

आज्ञा से,

ह०

(शिव कुमार अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख शासन सचिव, महा०राज्यपाल /मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू–वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू–वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर भी अप लोड किया जावे । उपरोक्तानुसार लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें । अधिसूचना की सी०डी० संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली ।

4649
12/11/10

(प्रहलाद सिन्हा)
शासन सहायक सचिव

SME II
12-11-10
AD(G)